Appendix - I

पत्रांक-6/अ7-80/2002 2516

प्रेषक,

झारखंड-सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

NOC

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची ।

सेवा में,

सचिव,

सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - 6.11.02

विषय:- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित केरला पब्लिक स्कूल, वर्मा माइन्स, जमशेदपुर को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है ।

1. संस्था एक विद्यालय संचालन नियमावली एक माह के अन्दर तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगी ।

2. विद्यालय की भूमि टाटा कम्पनी के द्वारा लीज पर दी गई है । चूंकि लीज का मामला विचाराधीन है तथा विद्यालय कार्यरत है । ऐसे में लीज के संबंध में सक्षम प्राधिकार का जो निर्णय होगा उससे यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभावी होगा ।

3. विद्यालय प्रबन्धन एक सभा भवन छः माह के अन्दर निर्माण कर लेगी ।

उपर्युक्त शर्त्तों एवं बन्धेजों के अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या-1055 दिनांक -5-9.2001 के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों एवं बन्धेजो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को

DIRECTOR
KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal
Kerala Public School
Burmamines.

कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2. विधालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2(दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 (चार) एकड़ भूमि विधालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30(तीस) वर्षो के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिये । यदि भविष्य में जाँचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित होगा ।

4. विधालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिये सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा ।

7. विधालय का कार्यकलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिये । विधार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिकमूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रयास करना होगा ।

8. विधालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिये ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवंनियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्सन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0स्काउट एवं गाईड आदि को सुचारु रूप से करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक -5. 9. 2001 के अनुसार शर्त्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा ।

क्र0प्र0उ0

DIRECTOR
KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal
Kerala Public School
Burmamines.

13. उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एंव अभिलेखों का जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा xxx राष्ट्र या राज्य हित के विरूद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटुता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है ।

15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्त्तों एंव बन्धेजों को अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एंव अकादमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा xxxxx माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों का उलंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन

6.10.04

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

ज्ञापांक- 2516 /राँची, दिनांक- 6.10.04

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

6.10.04

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची

ज्ञापांक- 2516 /राँची, दिनांक - 6.10.04

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के आप्त सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

6.10.04

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, राँची ।

DIRECTOR
KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES

Principal
Kerala Public School
Burmamines.

KERALA PUBLIC SCHOOL, BURMAMINES
Burmamines.